

कार्यालय आदेश

- 1- आयोग के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय की इलाहाबाद पीठ एवं लखनऊ पीठ में रिट याचिकाएँ योजित होती रहती हैं । रिट याचिकाओं की प्रतियाँ आयोग को प्राप्त होती हैं, जिनके रख-रखाव एवं रिट याचिकाओं पर नरेटिव तैयार करने हेतु मूल अभिलेखों को एकत्रित किए जाने का कार्य भी महत्वपूर्ण है । आयोग के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में योजित होने वाली रिट याचिकाओं की संख्या को देखते हुए एवं उनकी प्रभावी एवं समुचित पैरवी के लिए आयोग कार्यालय में एक लिटिगेशन सेल (Litigation cell) का गठन किया गया है ।
- 2- श्री माता प्रसाद, कार्यालय अधीक्षक को लिटिगेशन सेल का प्रभारी बनाया जाता है । प्रभारी, लिटिगेशन सेल आयोग के रजिस्ट्रार/विधि अधिकारी के पर्यवेक्षण व नियंत्रण में कार्य करेंगे ।
- 3- प्रभारी, लिटिगेशन सेल के निम्नलिखित कार्य व दायित्व होंगे :-
 - (i) मा0 उच्च न्यायालय की इलाहाबाद एवं लखनऊ पीठ में नियुक्त आयोग के स्थायी अधिवक्ता से लगातार समन्वय बनाते हुये न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं व उन पर मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की जानकारी प्राप्त करना व अविलम्ब सम्बन्धित मा0 राज्य सूचना आयुक्त अथवा सम्बन्धित अधिकारी को अवगत कराना ।
 - (ii) मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिकाओं की प्रतियाँ एकत्रित करना, उन्हें पंजी में दर्ज करना एवं पत्रावली तैयार कर उचित रख-रखाव करना ।
 - (iii) आयोग के स्तर पर नरेटिव तैयार करने हेतु मूल अभिलेख को विभिन्न सुनवाई कक्ष अथवा अभिलेखागार अथवा कार्यालय से एकत्रित करना ।
 - (iv) एकत्रित अभिलेख के नरेटिव तैयार करने हेतु विभिन्न सुनवाई कक्ष से टिप्पणी प्राप्त करना ।
 - (v) नरेटिव तैयार करने के सन्दर्भ में विधि अधिकारी से विधिक परामर्श लेना ।
 - (vi) नरेटिव को आयोग के नामित अधिवक्ता को प्राप्त कराना ।
 - (vii) आयोग की ओर से तैयार किये गये प्रतिशपथ पत्र को सत्यापित व हस्ताक्षरित करना ।
 - (viii) रिट याचिकाओं से सम्बन्धित शासन के द्वारा मांगे गये नक्शे को तैयार करना व उसे प्रेषित करना ।
 - (ix) रिट याचिकाओं की पैरवी से सम्बन्धित आयोग के रजिस्ट्रार के द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यों को निष्पादित करना ।
- 4- यह कार्यालय आदेश मा0 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।

(एस0 के0 ओझा)
सचिव

उ०प्र० राज्य सूचना आयोग, लखनऊ ।

पत्र सं० /रजि०/उ०प्र०सू०आ०/2015, दि० सितम्बर,
2015

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- सभी मा० राज्य सूचना आयुक्त ।
- 2- सचिव, उ०प्र० सूचना आयोग ।
- 3- रजिस्ट्रार, उ०प्र० सूचना आयोग ।
- 4- श्री एम०सी० चतुर्वेदी, स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।
- 5- श्री शिखर आनन्द, स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ ।

प्रति श्री माता प्रसाद, कार्या० अधी० को अनुपालनार्थ प्रेषित ।

(एस० के० ओझा)
सचिव